न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/28 दायरा दिनांक : 22.03.2024

उनवान

1. शांति लाल पुत्र चतरू, जाति मीणा
2. शोभाराम पुत्र चतरू, जाति मीणा
3. दाखा बाई पुत्री चतरू, जाति मीणा
4. सुन्दर बाई पुत्री चतरू, जाति मीणा
5. कान्ति बाई पुत्री चतरू, जाति मीणा
6. सुसर बाई पुत्री चतरू, जाति मीणा
7. रामदयाल पुत्र प्रभूलाल, जाति मीणा
   निवासीगण मेरमाचाह, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0) .... अपीलांट

बनाम

1. किशनचन्द पुत्र मोतीलाल, जाति मीणा
2. हंसराज पुत्र मोतीलाल, जाति मीणा
   निवासीगण मेरमाचाह, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
3. रूकमणी पुत्री मोतीलाल पत्नि राजाराम, जाति मीणा (मृतक)

3/1. लोकेश पुत्र राजाराम, जाति मीणा
3/2. महावीर पुत्र राजाराम, जाति मीणा
3/3. मनीषा पुत्री राजाराम, जाति मीणा
निवासीगण भंवरा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)

4. प्रभूलाल पुत्र कन्हैयालाल, जाति मीणा (मृतक)

4/1. जोधराज पुत्र प्रभूलाल, जाति मीणा
4/2. कौशल्या पुत्री प्रभूलाल, जाति मीणा
4/3. रविकान्त पुत्र हीरालाल, जाति मीणा
4/4. वसुन्धरा पुत्री हीरालाल, जाति मीणा
4/5. नीलू पुत्री हीरालाल, जाति मीणा
4/6. फन्खू पत्नि हीरालाल, जाति मीणा
4/7. हितेश पुत्र हरीश, जाति मीणा
4/8. सुमित्रा पत्नि हरीश, जाति मीणा

5. श्री किशन पुत्र बद्रीलाल, जाति मीणा
6. रामप्रसाद पुत्र बद्रीलाल, जाति मीणा
   निवासीगण मेरमाचाह, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0) .... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2024/29 दायरा दिनांक : 22.03.2024

उनवान

1. शांति लाल पुत्र चतरू, जाति मीणा
2. शोभाराम पुत्र चतरू, जाति मीणा
3. दाखा बाई पुत्री चतरू, जाति मीणा
4. सुन्दर बाई पुत्री चतरू, जाति मीणा
5. कान्ति बाई पुत्री चतरू, जाति मीणा
6. सुसर बाई पुत्री चतरू, जाति मीणा
7. रामदयाल पुत्र प्रभूलाल, जाति मीणा
   निवासीगण मेरमाचाह, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0) .... अपीलांट

बनाम

1. किशनचन्द पुत्र मोतीलाल, जाति मीणा

2-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2. हंसराज पुत्र मोतीलाल, जाति मीणा
निवासीगण मेरमाचाह, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
3. रूकमणी पुत्री मोतीलाल पत्नि राजाराम, जाति मीणा (मृतक)
3/1. लोकेश पुत्र राजाराम, जाति मीणा
3/2. महावीर पुत्र राजाराम, जाति मीणा
3/3. मनीषा पुत्री राजाराम, जाति मीणा
निवासीगण भंवरा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
4. प्रभूलाल पुत्र कन्हैयालाल, जाति मीणा (मृतक)
4/1. जोधराज पुत्र प्रभूलाल, जाति मीणा
4/2. कौशल्या पुत्री प्रभूलाल, जाति मीणा
4/3. रविकान्त पुत्र हीरालाल, जाति मीणा
4/4. वसुन्धरा पुत्री हीरालाल, जाति मीणा
4/5. नीलू पुत्री हीरालाल, जाति मीणा
4/6. फन्खू पत्नि हीरालाल, जाति मीणा
4/7. हितेश पुत्र हरीश, जाति मीणा
4/8. सुमित्रा पत्नि हरीश, जाति मीणा
5. श्री किशन पुत्र बद्रीलाल, जाति मीणा
6. रामप्रसाद पुत्र बद्रीलाल, जाति मीणा
निवासीगण मेरमाचाह, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0) .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री सुमित मीणा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 3/3 व 7 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 02.09.2024**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 31/2021 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.10.2022 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 20.07.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 से 3 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 11 के शामलाती खाते की आराजी मुताबिक जमाबंदी संवत 2071 से 2074 वाके ग्राम एवं माल मेरमाचाह, तहसील अटरू, जिला बारां की खाता संख्या 258 की खसरा नं. 297/987, 309, 310, 311, 338, 392, 393, 394, 395, 399, 400, 41, 411/1092, 411/1093, 411/1094, 42, 43, 44, 560, 561, 562, 563, 717, 720, 721, 722, 82, 83, 84, 87 कुल किता 30 का कुल रकबा 22.6100 हेक्टर भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने

2-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.10.2022 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 20.07.2023 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 06.10.2022 रेस्पोडेंटगण द्वारा छल कपट एवं मिथ्या व्यपदेशन से किय गये राजीनामा दिनांक 25.07.2022 पर आधारित होने से अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने खाता हीन मृतक गुलाब बाई के वारिसान को वाद में पक्षकार बनाये बिना एवं घोषणा बाबत वाद को संशोधित करवाये बिना ही काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों एवं प्रकिया विधि के नियमों के विरूद्ध पारित की गई प्राथमिक डिकी अवैधानिक एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी से अपीलांटगण के साम्पतिक अधिकार प्रभावित हुए है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी न्याय एवं साम्या के आधार पर यथावत रहने योग्य नहीं होने से निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिकी अवैधानिक विभाजन प्रस्ताव पर आधारित होने से निरस्तनीय है। प्राथमिक डिकी की पालना में मंगवाया गया विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार अटरू द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना किये बिना, अपीलांट को सूचना व सुनवायी का अवसर न देकर मनमाने तरीके से बनाया गया अवैधानिक विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित निर्णय व डिकी निरस्तनीय है। वाद पत्र की चरण कम 1 में वर्णित खसरा नं. 717, 720 की अवाप्त की गई आराजी की मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए रेस्पोडेंटगण ने आपसी मिलीभगत से अपीलांटगण की अनुपस्थिति में कब्जे काश्त से विसंगत विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है, जो अवैध एवं अमान्य होने से निरस्तनीय है। रेस्पोडेंटगण द्वारा बदनियतीपूर्वक छल कपट कर अहमदी सिंचाई परियोजना में अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त करने की नियत से उक्त बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया है, जो अमान्य एवं निरर्थक एवं अमान्य दस्तावेज होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने भी निर्णय व अंतिम डिकी पारित की है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक निर्णय के प्रावधानों एवं प्रकिया विधि को दर किनार कर मनमाना निर्णय पारित किया है, उक्त निर्णय असदभाविक न्याय व साम्या के सिद्धांतों के विरूद्ध होने से मुक निर्णय होने के कारण निरस्तनीय है।

अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.10.2022 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 20.07.2023 निरस्त की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 03.01.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवाद केवल दो आराजी के बाबत है। अधीनस्थ न्यायालय में गुलाब बाई दावे में पक्षकार नहीं थी लेकिन राजीनामें में गुलाब बाई को शामिल कर लिया गया। गुलाब बाई से राजीनामा गलत किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक

2/9/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है। अतः अपील फाईनल डिक्री निरस्त की जावे। दोनों अपीले स्वीकार करने की प्रार्थना की तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.10.2022 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 20.07.2023 निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा मियाद बाहर अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामे पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर है उसके बावजूद 2024 में हल्का पटवारी से जानकारी मिलान बताया जो सरासर असत्य है। जबकि एक एक दिन का हिसाब देना चाहिए, अतः मियाद के आधार पर अपील खारिज की जावे। राजीनामे से विबन्ध के सिद्धांत के आधार पर बाध्य है। (आर्डर 23 नियम 3 सी.पी.सी.) राजीनामे से इंकार नहीं किया जा सकता। दोनों के हस्ताक्षरों को Identify (पहचानकर्ता) किया हो तो इन्कार नहीं किया जा सकता। दोनों पक्ष राजीनामे से बाध्य है। यदि आप पीड़ित है तो आर्डर 23 नियम 3 सी.पी.सी. में अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया। अतः अपील खारिज की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.10.2022 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 20.07.2023 यथावत रखी जावे। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2018 आर.बी.जे. पेज 523 की नजीरे उद्धरत की, जो शामिल पत्रावली की गई।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि गुलाब बाई दावे में पक्षकार नहीं होने के बावजूद उसे राजीनामे में शामिल किया जाने से राजीनामा त्रुटिपूर्ण है। हमारे द्वारा राजीनामे का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में कान्तीबाई वगैरह बनाम किशनचन्द वगैरह वाद सं. 67/2022 तथा किशनचन्द, हंसराज, रुकमणी वगैरह बनाम प्रभूलाल, पाना बाई वगैरह वाद सं. 31/2021 में उभयपक्षकारों द्वारा राजीनामा प्रस्तुत हुआ जिस पर समस्त अपीलांटगण के हस्ताक्षर हैं। राजीनामे के अवलोकन से प्रकट होता है कि गुलाबबाई नामक महिला के राजीनामे पर हस्ताक्षर नहीं है। अतः अपीलांट के अभिभाषक का कथन त्रुटिपूर्ण प्रकट होता है। राजीनामे पर अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण की पहचान अधिवक्ताओं द्वारा की गई है। हम न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर 2018 आर.बी.जे. पेज 523 की नजीर से सहमत हैं कि राजीनामे पर हस्ताक्षर करने वाले पक्षकारों की पहचान अधिवक्ताओं के द्वारा की गई है तो कोई भी पक्षकार राजीनामे के बाबत इन्कार नहीं कर सकता। अपीलांट के राजीनामे दिनांक 25.07.2022 पर हस्ताक्षर होने के बावजूद डिक्री की जानकारी 2024 में होना मिथ्या प्रकट होता है।

अपीलांट स्वयं द्वारा किये गये राजीनामे से विबन्ध के सिद्धांत (Principal of estoppel) से बाध्य है। अतः प्राथमिक डिक्री विधि सम्मत होने से यथावत रखी जाती है।

2-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बंटवारा प्रस्ताव को उभयपक्ष के अभिभाषकों द्वारा स्वीकार करने से अंतिम डिक्री पारित की गयी। पक्षकार अपीलांट की ओर से अभिभाषक द्वारा बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार करने से अपीलांट बाध्य है तथा इससे इंकार नहीं किया जा सकता। अतः उक्तानुसार अंतिम डिक्री विधि सम्मत होने से यथावत रखी जाना और अपील खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 2024/28 एवं 2024/29 अपीलांट खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.10.2022 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 20.07.2023 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 2024/28

1. शांति लाल पुत्र चतरू, जाति मीणा
2. शोभाराम पुत्र चतरू, जाति मीणा
3. दाखा बाई पुत्री चतरू, जाति मीणा
4. सुन्दर बाई पुत्री चतरू, जाति मीणा
5. कान्ति बाई पुत्री चतरू, जाति मीणा
6. सुसर बाई पुत्री चतरू, जाति मीणा
7. रामदयाल पुत्र प्रभूलाल, जाति मीणा
   निवासीगण मेरमाचाह, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)

.... **अपीलांट**

बनाम

1. किशनचन्द पुत्र मोतीलाल, जाति मीणा
2. हंसराज पुत्र मोतीलाल, जाति मीणा
   निवासीगण मेरमाचाह, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
3. रूकमणी पुत्री मोतीलाल पत्नि राजाराम, जाति मीणा (मृतक)
   3/1. लोकेश पुत्र राजाराम, जाति मीणा
   3/2. महावीर पुत्र राजाराम, जाति मीणा
   3/3. मनीषा पुत्री राजाराम, जाति मीणा
   निवासीगण भंवरा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
4. प्रभूलाल पुत्र कन्हैयालाल, जाति मीणा (मृतक)
   4/1. जोधराज पुत्र प्रभूलाल, जाति मीणा
   4/2. कौशल्या पुत्री प्रभूलाल, जाति मीणा
   4/3. रविकान्त पुत्र हीरालाल, जाति मीणा
   4/4. वसुन्धरा पुत्री हीरालाल, जाति मीणा
   4/5. नीलू पुत्री हीरालाल, जाति मीणा
   4/6. फन्खू पत्नि हीरालाल, जाति मीणा
   4/7. हितेश पुत्र हरीश, जाति मीणा
   4/8. सुमित्रा पत्नि हरीश, जाति मीणा
5. श्री किशन पुत्र बद्रीलाल, जाति मीणा
6. रामप्रसाद पुत्र बद्रीलाल, जाति मीणा
   निवासीगण मेरमाचाह, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)....

.... **रेस्पोडेंट**

अपील संख्या 2024/29

1. शांति लाल पुत्र चतरू, जाति मीणा
2. शोभाराम पुत्र चतरू, जाति मीणा
3. दाखा बाई पुत्री चतरू, जाति मीणा
4. सुन्दर बाई पुत्री चतरू, जाति मीणा
5. कान्ति बाई पुत्री चतरू, जाति मीणा
6. सुसर बाई पुत्री चतरू, जाति मीणा
7. रामदयाल पुत्र प्रभूलाल, जाति मीणा
   निवासीगण मेरमाचाह, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)

.... **अपीलांट**

बनाम

1. किशनचन्द पुत्र मोतीलाल, जाति मीणा
2. हंसराज पुत्र मोतीलाल, जाति मीणा
   निवासीगण मेरमाचाह, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
3. रूकमणी पुत्री मोतीलाल पत्नि राजाराम, जाति मीणा (मृतक)
   3/1. लोकेश पुत्र राजाराम, जाति मीणा
   3/2. महावीर पुत्र राजाराम, जाति मीणा
   3/3. मनीषा पुत्री राजाराम, जाति मीणा
   निवासीगण भंवरा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
4. प्रभूलाल पुत्र कन्हैयालाल, जाति मीणा (मृतक)
   4/1. जोधराज पुत्र प्रभूलाल, जाति मीणा
   4/2. कौशल्या पुत्री प्रभूलाल, जाति मीणा
   4/3. रविकान्त पुत्र हीरालाल, जाति मीणा
   4/4. वसुन्धरा पुत्री हीरालाल, जाति मीणा
   4/5. नीलू पुत्री हीरालाल, जाति मीणा
   4/6. फन्खू पत्नि हीरालाल, जाति मीणा
   4/7. हितेश पुत्र हरीश, जाति मीणा
   4/8. सुमित्रा पत्नि हरीश, जाति मीणा
5. श्री किशन पुत्र बद्रीलाल, जाति मीणा
6. रामप्रसाद पुत्र बद्रीलाल, जाति मीणा
   निवासीगण मेरमाचाह, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)..........**रेस्पोडेंट**

2-9-2024

अपील नं. 2024/28 व 2024/29
मु.द.नं 31/2021

एवं नाराजगी डिक्री अदालत –**उपखण्ड अधिकारी, अटरू**
निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक **06.10.2022** एवं
अन्तिम डिक्री **20.07.2023**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 07 माह 08 सन् 2024

श्री **सुमित मीणा** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **बृजराज सिंह चौहान** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 3/3 व 7 की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

दोनों अपीले अपील संख्या 2024/28 एवं 2024/29 अपीलांट खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.10.2022 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 20.07.2023 यथावत रखे जाते हैं।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **02** माह **09** सन् **2024** को जारी किया गया ।

मोहर

2-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)